APPROPRIATION (GENERAL) NO. 4 BILL, 2003*

11.13 hrs.

Title: Introduction and consideration of the Appropriation (No. 4) Bill, 2003 (Bill Introduced and passed)

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2003-2004.

MR. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2003-2004. "

The motion was adopted.

SHRI JASWANT SINGH: I introduce** the Bill.

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष जी, डिमांड्स पर कुछ कहने दीजिए, ये बिना बहस के पारित हो रही हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक मांगें बिना बहस के पारित हो जाएं, यह संसदीय प्रणाली में कैसे होगा। (व्यवधान)यह बिना बहस के पारित की जा रही हैं, ऐसे कैसे हो सकता है?(व्यवधान)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): How can you do it like this? (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please sit down. Let me make it clear that whatever is being done in the House, is being done in consultation with the Business Advisory Committee. Whatever has been agreed to in the BAC, is being done in the House. Still, if any Member wants to speak for a minute or two, he can be permitted to speak but he should ask for permission. If nobody asks for permission, I will proceed with the voting.

(*Interruptions*)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dt.18.8.2003.

** Intorudced with the recommendation of the President.

MR. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be taken into consideration.

SHRI JASWANT SINGH: I beg to move:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2003-2004, be taken into consideration."

MR. SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2003-2004, be taken into consideration."

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बोलिये, मैं आपको बोलने की इजाजत देता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी संसदीय प्रणाली की यही अहमियत है कि सरकार द्वारा सदन में प्रस्तुत अनुपूरक मांगों पर बहस हो और तब वे पारित हों। देश का जो बजट प्रस्तुत किया गया, वह सरकार की विफलता को दर्शा रहा है। वह गरीब-विरोधी, किसान-विरोधी बजट था और उसके विफल होने के बाद सरकार सदन में अनुपूरक मांगें लाई है। (व्यवधान) इस देश में 62 हजार करोड़ रुपए इन्कम टैक्स के लोगों पर बकाया हैं। पूंजीपतियों के माध्यम से यह सरकार चल रही है। बजट में जो कमियां रहीं, उनकी पूर्ति के लिए सरकार सदन में अनुपूरक मांगें लेकर आती, तो उनका समर्थन किया जा सकता था, लेकिन यह सरकार देश भर में, सभी क्षेत्रों में विफल रही है। सभी लोग इसके कारण त्रस्त हैं। मजदूर मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, बेरोजगारी के कारण नौजवानों की हालत खराब है, वे जगह-जगह भटक रहे हैं और मेहनतकश मजदूर आन्दोलन की राह पर हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसके कारण उन्हें अपने मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। असंगठित क्षेत्र में 37 करोड़ लोग हैं जिनमें खेतिहर मजदूर एवं फुटकर मजदूर ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा है। सरकार ने कहा कि हम एक करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन आज हालत यह है कि रोजगार देने के बजाय रोजगार छीना जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। रोजगार देने के मामले में सरकार ने वचन-भंग किया है। बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए सप्लीमेंट्री बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए मैं सरकार को वचन-भंग का दोषी मानता हूं। (व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं और बिजनैस एडवायजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि बजट बिना बहस के पास किया जाएगा, फिर माननीय सदस्य भााण क्यों दे रहे हैं ? (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, देश में बाढ़ से तबाही हो रही है। देश में बाढ़, सुखाड़, जल जमाव, भूमि कटाव से उत्तर क्षेत्र के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम में बाढ़ से तबाही हो रही है, लेकिन अनुपूरक अनुदान की मांगों में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के मामले में जो भारत में भारी तबाही का कारण बनती हैं, नेपाल से समझौता नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, देश में करोड़ों लोग बाढ़ के कारण परेशान हैं, उनके आवागमन के रास्ते बन्द हैं, लेकिन यह सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। यह सरकार एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. को प्राइवेट लोगों को बेचकर देश को बेचने का काम कर रही है। इसलिए हम सारे विपक्ष के लोग इस सरकार को परास्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह सरकार बिना बहस के एक झटके में अनुपूरक अनुदान की मांगों को पास कराना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिना बहस के मांगें पास नहीं होंगी।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार देश के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती है। गरीब, किसान, मजदूर, युवा सब तबाह हो रहे हैं। इस कारण इन अनुपूरक अनुदान की मांगों के हम खिलाफ हैं। अनुपूरक अनुदान की मांगों से जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। यह सरकार जोड़-तोड़ कर अपनी गाड़ी को घसीटने में लगी हुई है। इसलिए अनुपूरक अनुदान की मांगों को खारिज किया जाना चाहिए। इस सरकार का पर्दाफाश होना चाहिए, भंडाफोड़ होना चाहिए। यह सरकार ब्लैक-मार्कीटियर्स, मल्टीनैशनल्स और पूंजीपतियों की हिफाजत कर रही है। गरीब, किसान, खेतिहर मजदूर और बेरोजगार नौजवानों की समस्याओं को सुलझाने के खिलाफ है। वह इनके लिए कुछ नहीं करना चाहती।

अध्यक्ष महोदय, जब बिहार का बंटवारा हुआ था, तो इसी सदन में कहा गया था कि बिहार को विशेा आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, उसके घाटे की पूर्ति की जाएगी, लेकिन वह पैकेज आज तक नहीं दिया गया। यह सरकार वचनभंग की दोाी है। झारखंड बनने से बिहार की 75 प्रतिशत आमदनी के स्रोत झारखंड में चले गए और 75 प्रतिशत खर्च बिहार पर आ गया।

इस वजह से बिहार वित्तीय संकट से गुजर रहा है, लेकिन आर्थिक पैकेज में इन्होंने अनुपूरक मांगों में उपबंध नहीं किया, बजट का प्रबंध नहीं किया, इस बारे में ये बताएं, नहीं तो हम इस बजट के खिलाफ हैं।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, let me speak a few words. Please give me two minutes.

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : In the Business Advisory Committee it was decided that it would be passed without discussion. They should read the Report to know what has been decided.

MR. SPEAKER: I agree with Dr. Vijay Kumar Malhotra. It has already been decided in the Business Advisory Committee that all the business before us today would be disposed of within this one hour and that is why the Question Hour has been suspended. This was agreed to by all the Leaders present in the meeting. I hope that as per the practice whatever has been agreed to in the Business Advisory Committee is binding on all the Members present in the House. Therefore, I would request hon. Members not to insist upon speaking on this because we have to go to another important business afterwards. Now Shri Jaswant Singh.

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो शब्द कह दूं। माननीय रघुवंश बाबू ने अपनी स्वाभाविक भाव वंदना में यहां बहुत सारी बातें कहीं, उनके स्वभाव से परे कौन जा सकता है। कबीर दास जी का एक दोहा है -

"आवत गाली एक बार, पलटत होए अनेक,

कह कबीर न पलटाइए, बाढ़िए एक की एक।"

अध्यक्ष महोदय, मैंइनकी सभी बातों का जवाब न देकर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधेयक पारित कर दिया जाए।

MR. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2003-2004, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill. The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the long Title were added to the Bill.

SHRI JASWANT SINGH: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.